भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3338

दिनांक 16/03/2021/25 फाल्गुन,1942 (शक) को उत्तर के लिए

गवाहों की सुरक्षा

3338. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बड़ी संख्या में खतरनाक आपराधिक मामलों में गवाहों को या तो मार दिया जाता है या धमकी दी जाती है, जिसके कारण देश के विभिन्न न्यायालयों में ऐसे मामलों को अंततः समाप्त करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान मारे गए ऐसे लोगों की संख्या कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में गवाहों के प्रतिकूल रवैये के कारण अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार खतरनाक आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। मारे गए गवाहों और ऐसे मामले, जिनमें गवाहों के प्रतिकूल रवैये के कारण अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया, के ब्यौरे केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

तथापि, गृह मंत्रालय ने एक "विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, 2018" तैयार की है, जिसकी पुष्टि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 156 में अपने दिनांक 05.12.2018 के आदेश में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 141/142 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत की सीमा के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है तथा भारत के सम्पूर्ण भू-भाग में लागू होते हैं। इस स्कीम में, खतरे के आंकलन के आधार पर गवाहों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

****